77

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक– /2018

1. श्यामलाल सिंह पुत्र स्व. श्री कमलभन सिंह
2. रामलाल पुत्र स्व. श्री कमलभन सिंह
3. धनंजय सिंह पुत्र स्व. श्री कमलभन सिंह
4. विजय कुमार पुत्र. स्व. श्री आशुतोष सिंह,
5. अरूण कुमार सिंह पुत्र. स्व. श्री आशुतोष सिंह,

समस्त निवासीगण–ग्राम पड़ैनिया खुर्द, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.)

———आवेदकगण

बनाम

1. जगन्नाथ सिंह पुत्र कलिंजर सिंह
2. लालबहादुर सिंह पुत्र श्री तीर्थराज सिंह,
3. संतोष सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह,
4. श्रीमती तारादेवी पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह,

समस्त निवासीगण–ग्राम पड़ैनिया खुर्द, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.)

———अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक–III/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/6279 में पारित आदेश दिनांक 17/01/2018 धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, आवेदकगणों एवं अनावेदकगणों के पूर्वजों के संयुक्त खाते की भूमियाँ ग्राम पड़ैनिया खुर्द, पड़ैनिया पवाई, मधुरी खुर्द एवं मधुरी पवाई एवं जमोड़ी खुर्द में स्थित थी। इन भूमियों का संयुक्त खातेदारों के मध्य आपसी मौखिक विभाजन हो गया था जिसकी यादाश्त सूची एक रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 14/06/1960 कों लिखी गई थी।

Hmt. (Rd-=1)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/सीधी/भूरा/2018/1293

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
25.06.18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सीधी/भूरा/2017/6279 में पारित आदेश दिनांक 17.1.18 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/सीधी/भूरा/2018/1293 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण दो/निगरानी/सीधी/भूरा/2017/6279 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 17.1.18 से किया जा चुका है। 4–प0 क0 दो/पुर्नावलोकन/सीधी/भूरा/2018/1293 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में	

पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। प्रकरण कमांक दो/पुर्नावलोकन/सीधी/भूरा/2018/1293 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य